



श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक २०१-III/2014

शिवनारायण पिता गेंदालाल

निवासी - ग्राम मेनगांव तहसील एवं जिला खरगोन

निगरानी २०१-III-15

... निगरानीकर्ता

विरुद्ध

विनोद पिता श्री शंकर

निवासी - ग्राम मेनगांव तहसील एवं जिला खरगोन

... प्रत्यर्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

निगरानीकर्ता तर्फे सादर निवेदन है कि :-

निगरानीकर्ता द्वारा सदर निगरानी श्रीमान तहसीलदार महोदय, खरगोन के राजस्व प्रकरण क्रमांक एस/ए-70/13-14 मे पारित आदेश दिनांक 30/12/2014 से व्यथित होकर सदर निगरानी प्रस्तुत है।

शिवनारायण गेंदालाल
निवासी - ग्राम मेनगांव तहसील एवं जिला खरगोन
२०/१२/१४



23-1-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 208-तीन/15

जिला खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-5-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री मुकेश तारे, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया किया । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 28-6-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अनावेदक पक्ष सूचित हो ।</p> <p></p>	<p> अध्यक्ष</p>